



ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा

अभिषद् की बैठक दिनांक 20.07.2019 का कार्यवृत्त

समय: 02:00 बजे
उपस्थिति

स्थान: कुलपति महोदय का आवासीय सभागार

1. प्रो० सुरेन्द्र कुमार सिंह, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. प्रो० जय गोपाल	—	सदस्य
3. श्री संजय सरावगी	—	सदस्य
4. डॉ० बिनोद कुमार चौधरी	—	सदस्य
5. डॉ० फैयाज अहमद	—	सदस्य
6. डॉ० हरि नारायण सिंह	—	सदस्य
7. डॉ० अमर कुमार	—	सदस्य
8. डॉ० रतन कुमार चौधरी	—	सदस्य
9. डॉ० अजीत कुमार चौधरी	—	सदस्य
10. डॉ० बैद्यनाथ चौधरी	—	सदस्य
11. डॉ० दिलीप कुमार चौधरी	—	सदस्य
12. डॉ० डी० एन० पासवान	—	सदस्य
13. डॉ० प्रीती झा	—	सदस्य
14. डॉ० विजय मिश्रा	—	सदस्य
15. डॉ० इन्द्र कुमार राय	—	सदस्य
16. डॉ० अनिल कुमार मंडल	—	सदस्य
17. श्रीमती मीना कुमारी	—	सदस्य
18. मो० ए० हक	—	विशेष आमंत्रित सदस्य
19. श्री सुधीर कुमार	—	विशेष आमंत्रित सदस्य
20. कर्नल निशीथ कुमार राय, कुलसचिव	—	सचिव

अध्यक्ष की अनुमति से आगत सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारंभ करने की धोषणा की गई। माननीय अध्यक्ष (कुलपति) के "Appeals Committee of NAAC" के अध्यक्ष (Chairman) नामित होने पर उपस्थित सभी सदस्यों एवं कुलसचिव द्वारा उन्हें बधाई एवं शुभकामना दी गयी। विशेष आमंत्रित सदस्य नव-नियुक्त वित्त पदाधिकारी, श्री सुधीर कुमार द्वारा सदन को अपना परिचय दिया गया। सचिव द्वारा सूचित किया गया कि गत बैठक दिनांक 14.06.2019 की कार्यसूची के मात्र दो मदों पर निर्णय लिया गया था, इसलिए शेष मदों पर इस बैठक में निर्णय लिये जाने है।

बैठक के प्रारंभ में डॉ० हरिनारायण सिंह ने कहा कि दिनांक 01.03.2019 के बाद दिनांक 14.06.2019 को अभिषद् की बैठक बुलाई गयी थी जिसमें सहमति बनी थी की 07 से 10 दिनों में अगली बैठक बुलाई जायेगी जो अब दिनांक 20.07.2019 को बुलाई गई है, जबकि परिनियानुसार महीने में कम से कम एक बैठक बुलाने का प्रावधान है और आवश्यकतानुसार महीने में एक से अधिक बैठक भी बुलाई जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि प्रायः एक-से-सवा महीने के बीच बैठक बुलाई जाती रही है, सिवाय एक बार जब लोकसभा चुनाव के कारण आचार-संहिता लागू था। आज की बैठक दिनांक 14.06.2019

की आंशिक कार्यवाही के बाद की स्थगित बैठक ही है जिसमें कोई नया मद नहीं जोड़ा गया है। कुलपति ने सुझाव दिया कि प्रत्येक बैठक में ही अगली बैठक की तिथि निर्धारित कर ली जाय।

अध्यक्ष, छात्र कल्याण द्वारा पिछले बैठक की कार्यवृत्त की उपस्थिति में उनका नाम अंकित नहीं रहने पर अध्यक्ष द्वारा भूल सुधार कर नाम जोड़ने का नियमन दिया गया।

डॉ० दिलीप कुमार चौधरी द्वारा विश्वविद्यालय एवं स्व-वित्तपोषित संस्थानों में कर्मियों की विवरणी अगली बैठक में उपस्थापित करने के प्रस्ताव पर अध्यक्ष की अनुमति से सचिव द्वारा सूचित किया गया कि कर्मियों की कमी के कारण सम्प्रति विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालयों तक में लगभग 150 कर्मी आउटसोर्स आधार पर कार्यरत है। सदस्यों ने आग्रह किया कि कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द विभागों/महाविद्यालयों में कर्मी दिये जायँ। इससे संबंधित विवरण अगली बैठक में रखने पर सहमति बनी।

विभिन्न सदस्यों द्वारा स्नातक नामांकन, कन्या उत्थान योजना के मामलों में छात्र/छात्राओं को हो रही कठिनाईयों/विसंगतियों पर चर्चा की गई। अध्यक्ष, छात्र कल्याण द्वारा इन बिन्दुओं पर सूचना दी गई।

कुलपति महोदय ने गेस्ट टीचरों के भुगतान हेतु माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि वे सरकार से राशि दिलाने में सहयोग करें।

मद सं० 1.
निर्णयः

अभिषद् की गत बैठक दिनांक 01.03.2019 के कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार।

अभिषद् की गत बैठक दिनांक 01.03.2019 के कार्यवृत्त को संपुष्ट करने के क्रम में श्री संजय सरावगी द्वारा स्कूल गुरु से संबंधित जाँच प्रतिवेदन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। मामले पर विस्तृत चर्चा हुई जिसमें सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। इसके साथ ही दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के क्रिया-कलापों से संबंधित कई बिन्दुओं पर माननीय सदस्यों सर्वश्री डॉ० हरि नारायण सिंह, डॉ० बैद्यनाथ चौधरी, डॉ० बिनोद कुमार चौधरी, श्री संजय सरावगी ने अपने विचार व्यक्त किये एवं आपत्तियाँ व्यक्त की।

1. डॉ० दिलीप कुमार चौधरी ने प्रस्ताव दिया कि त्रि-सदस्यीय जाँच समिति के अनुशंसा को स्वीकार करते हुए कृत कार्रवाई से अगली बैठक में सदन को अवगत कराया जाय।

2. श्री संजय सरावगी एवं डॉ० हरि नारायण सिंह के प्रस्ताव पर दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में हुई विभिन्न नियुक्तियों की जाँच हेतु समिति गठित करने की सहमति बनी जो शीघ्र अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेगी।

3. श्री संजय सरावगी के Library Automation संबंधी पूर्व प्रस्ताव में अंकित आपत्तियों को NIC officials को भेजकर बिन्दुवार उत्तर जल्द से जल्द मंगवाने पर सहमति बनी।

4. डॉ० बिनोद कुमार चौधरी द्वारा उठाये गये श्री राजा राम झा के मामले पर सचिव द्वारा प्रगति की जानकारी सदन को देने पर सहमति बनी कि जल्द ही इसपर कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराया जायेगा।

5. श्री सरावगी ने पुनः पूर्व में दिये अपने प्रस्ताव "अतिथि शिक्षकों के Document verification" को जल्द से जल्द संबंधित विश्वविद्यालयों से कराने की माँग रखी।

6. श्रीमती मीना कुमारी के अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए डॉ० बिनोद कुमार चौधरी, डॉ० बैद्यनाथ चौधरी एवं डॉ० हरि नारायण सिंह ने अपने विचार रखे। निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित 46 उम्मीदवारों की नामिका जो 2015 के पूर्व में मामले थे, को अनुमोदित किया जाता है। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि चूँकि 4 अभ्यर्थियों के स्वर्गीय पालक स्थायी सेवा में नहीं थे और इनके मामलें नियमानुकूल नहीं पाये गये – इसलिए शेष बचे 54 अभ्यर्थियों को भी नियमानुकूल प्रक्रिया के तहत अनुकम्पा पर बहाल करने की प्रक्रिया की जाय। सदन को यह भी सूचित किया गया कि 15 अभ्यर्थियों के documents चेक हो गए हैं। बाकी के शीघ्र कर लिए जाएंगे।

7. डॉ० बिनोद कुमार चौधरी द्वारा उठाये गये श्री सरोज चौधरी एवं अन्य

शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के प्रोन्नति से संबंधित मामले पर सहमति बनी कि सभी स्थायी शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की प्रोन्नति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा एक ठोस प्रस्ताव सदन में लाया जाय।

8. कुलसचिव द्वारा आउटसोर्स के तहत कार्य कर रहे कर्मियों को संविदा पर परिवर्तित करने के पूर्व प्रस्ताव पर सहमति बनी की राज्य सरकार से मंतव्य एवं दिशा निर्देश प्राप्त कर, अग्रेतर कारवाई की जाय। डॉ० बैद्यनाथ चौधरी एवं डॉ० हरि नारायण सिंह ने प्रस्ताव रखा कि पूर्व में कार्यरत संविदा कर्मी जो वर्तमान में आउटसोर्स पर कार्यरत है, को संविदा पर परिवर्तित कर दिया जाय लेकिन सदन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। डॉ० बिनोद कुमार चौधरी ने शिक्षकेत्तर कर्मियों की कमी को देखते हुए जल्द से जल्द शिक्षकेत्तर कर्मियों को बहाल करने का प्रस्ताव सदन में रखा।

इसके साथ ही अभिषद् की गत बैठक दिनांक 01.03.2019 के कार्यवृत्त को संपुष्ट किया गया।

मद सं० 2
निर्णय: अभिषद् की बैठक दिनांक 01.03.2019 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन-प्रतिवेदन पर विचार।
अभिषद् की बैठक दिनांक 01.03.2019 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन-प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त करते हुए स्वीकार किया गया।

मद सं० 3.
निर्णय: विद्वत परिषद् की प्रस्तावित बैठक दिनांक 07.06.2019 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।
विद्वत परिषद् की बैठक दिनांक 07.06.2019 के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं० 4.
निर्णय: वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.05.2019 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।
वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.05.2019 के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। साथ ही, डॉ० दिलीप कुमार चौधरी के प्रस्ताव जो विभिन्न रूपों में कार्यरत कर्मियों के पारिश्रमिक में परिवर्तन के संबंध में था, पर कुलसचिव द्वारा समीक्षा कर ठोस प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करने पर सहमति बनी। डॉ० दिलीप कुमार चौधरी, डॉ० बैद्यनाथ चौधरी एवं डॉ० बिनोद कुमार चौधरी ने श्री अशोक कुमार ठाकुर जो पूर्व में W.I.T. में कार्यरत था, के मामले को review करने का प्रस्ताव रखा।

डा० जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, दरभंगा के प्रधानाचार्य को शिक्षा शास्त्र के डीन पद पर बहाली से संबंधित मामले पर सहमति बनी कि जल्द ही एक जाँच समिति बना के उसकी सत्यता की जाँच करायी जायेगी। यह भी सहमति बनी कि जाँच समिति के प्रतिवेदन आने तक इनको किसी भी मिटिंग में ना तो बुलाया जाय और ना ही इनको कोई महत्वपूर्ण समिति में सदस्य बनाया जाय।

मद सं० 5.
निर्णय: पद सृजन अन्तर्लीनीकरण एवं सेवा सम्पूष्टि समिति की बैठक दिनांक 15.05.2019 एवं 28.05.2019 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

पद सृजन अन्तर्लीनीकरण एवं सेवा सम्पूष्टि समिति की बैठक दिनांक 15.05.2019 एवं 28.05.2019 के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। डा० दिलीप कुमार चौधरी ने राज्य सरकार के पत्रों को देखकर नियुक्ति तिथि निर्धारण का सुझाव दिया।

मद सं० 6.
निर्णय: एस०एम०जे० कॉलेज, खाजेडीह, मधुबनी स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय में दान-दाता सदस्य घोषित किये जाने सम्बन्धी मामलों की जाँच हेतु गठित त्रिसदस्यीय जाँच समिति के प्रतिवेदन पर विचार।

एस०एम०जे० कॉलेज, खाजेडीह, मधुबनी स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय में दान-दाता सदस्य घोषित किये जाने सम्बन्धी मामलों की जाँच हेतु गठित त्रिसदस्यीय जाँच समिति को अभिषद् द्वारा स्वीकृति दी गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि सभी दाताओं की जाँच कर विस्तृत प्रतिवेदन अभिषद् में रखी जाय।

मद सं० 7.
श्री राजदेव राय, पुस्तकाध्यक्ष, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर को दिनांक 26.09.2016 की प्रभावी तिथि से पुस्तकाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति के संबंध में अनुमोदन, वरीयता एवं वेतन

निर्धारण समिति की बैठक 28.09.2018 में लिये गए निर्णय पर विचार।

- निर्णय: श्री राजदेव राय, पुस्तकाध्यक्ष, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर को दिनांक 26.09.2016 की प्रभावी तिथि से पुस्तकाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति के संबंध में अनुमोदन, वरीयता एवं वेतन निर्धारण समिति की बैठक 28.09.2018 में लिये गए निर्णय को सर्वसम्मति से पारित करते हुए नियमानुसार कारवाई करने पर सहमति बनी।
- मद सं0 8 श्री शिवशंकर चौधरी, पुस्तकाध्यक्ष, सी0एम0 विज्ञान महाविद्यालय, दरभंगा को दिनांक 26.09.2016 की प्रभावी तिथि से पुस्तकाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति के संबंध में अनुमोदन, वरीयता एवं वेतन निर्धारण समिति की बैठक 28.09.2018 में लिए गए निर्णय पर विचार।
- निर्णय: श्री शिवशंकर चौधरी, पुस्तकाध्यक्ष, सी0एम0 विज्ञान महाविद्यालय, दरभंगा को दिनांक 26.09.2016 की प्रभावी तिथि से पुस्तकाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति के संबंध में अनुमोदन, वरीयता एवं वेतन निर्धारण समिति की बैठक 28.09.2018 में लिए गए निर्णय को सर्वसम्मति से पारित करते हुए नियमानुसार कारवाई करने पर सहमति बनी।
- मद सं0 09 To consider the issue of restoration of services of Md. Shahjad Manjar as a teacher in English in B.Ed. curriculum in R.K. College, Madhubani
- निर्णय: **The matter related to restoration of services of Md. Shahjad Manjar as a teacher in English in B.Ed. curriculum in R.K. College, Madhubani was unanimously considered by the Syndicate and it was decided to strictly follow the directions received from the Chancellor's Secretariat, Raj Bhavan, Patna, Bihar in this regard. The period of Absence by him be treated as extra-ordinary leave without pay.**
- मद सं0 10 श्री राम बालक चौधरी, पुस्तकाध्यक्ष, आर0सी0एस0 महाविद्यालय, मंझौल, बेगूसराय का प्रथम ए0सी0पी0 एवं द्वितीय ए0सी0पी0 के साथ वेतन निर्धारण के संबंध में अनुमोदन, वरीयता एवं वेतन निर्धारण समिति की बैठक 28.09.2018 में लिये गए निर्णय पर विचार।
- निर्णय: श्री राम बालक चौधरी, पुस्तकाध्यक्ष, आर0सी0एस0 महाविद्यालय, मंझौल, बेगूसराय का प्रथम ए0सी0पी0 एवं द्वितीय ए0सी0पी0 के साथ वेतन निर्धारण के संबंध में अनुमोदन, वरीयता एवं वेतन निर्धारण समिति की बैठक 28.09.2018 में लिये गए निर्णय को अनुमोदित किया गया।
- मद सं0 11 अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 21.02.2019 एवं 07.06.2019 को प्रस्तावित बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार।
- निर्णय: अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 21.02.2019 एवं 07.06.2019 को प्रस्तावित बैठक में पारित प्रस्तावों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
- मद सं0 12 To consider the minutes of the Advisory Council meeting of University Department of Biotechnology held on 16.04.2019.
- निर्णय: **The minutes of the Advisory Council meeting of University Department of Biotechnology held on 16.04.2019 was unanimously approved by the Syndicate.**
- मद सं0 13 दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के विभागीय सलाहकार समिति की 87वीं, 88वीं एवं 89वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।
- निर्णय: दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के विभागीय सलाहकार समिति की 87वीं, 88वीं एवं 89वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करने के क्रम में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इसे details के साथ अभिषद् की आगामी बैठक में उपस्थापित किया जाय।
- मद सं0 14 हिन्दी विषय में अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों को स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति होने तक के लिए निर्धारित मानदेय के आधार पर पूर्णतः अस्थायी रूप से नियोजन करने हेतु विश्वविद्यालय चयन समिति के द्वारा किये गये अनुशंसाओं के अनुमोदन पर विचार।
- निर्णय: हिन्दी विषय में अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों को स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति होने तक के लिए निर्धारित मानदेय के आधार पर पूर्णतः

- अस्थायी रूप से नियोजन करने हेतु विश्वविद्यालय चयन समिति के द्वारा किये गये अनुशंसाओं को अभिषद् की बैठक दिनांक 14.06.2019 में ही अनुमोदित किया जा चुका था, इसलिए पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
- मद सं0 15 परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 20.12.2018, 25.01.2019, 06.02.2019, 09.02.2019, 22.02.2019, 06.04.2019, 03.05.2019 एवं 15.05.2019 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।
- निर्णयः परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 20.12.2018, 25.01.2019, 06.02.2019, 09.02.2019, 22.02.2019, 06.04.2019, 03.05.2019 एवं 15.05.2019 के कार्यवृत्त को अभिषद् के बैठक दिनांक 14.06.2019 को ही अनुमोदित किया जा चुका था, इसलिए पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
- मद सं0 16. अतिरिक्त मद यदि कोई हो (अध्यक्ष की अनुमति से)।
- अतिरिक्त मद सं0 1. शशि-कृष्णा महाविद्यालय, थतिया, रोसड़ा, समस्तीपुर में जाँच-समिति की अनुशंसा के आलोक में अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 21.02.2019 के मद संख्या 04 में लिये गये निर्णयानुसार सचिव से की गयी कारण-पृच्छा के आधार पर वर्तमान शासी निकाय को भंग कर तदर्थ-समिति के गठन पर विचार।
- निर्णयः विचारोपरान्त, शशि-कृष्णा महाविद्यालय, थतिया, रोसड़ा, समस्तीपुर में जाँच-समिति की अनुशंसा के आलोक में अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 21.02.2019 के मद संख्या 04 में लिये गये निर्णयानुसार सचिव से की गयी कारण-पृच्छा के आधार पर वर्तमान शासी निकाय को भंग कर तदर्थ-समिति के गठन करने हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।
- अतिरिक्त मद सं0 2. सम्बद्ध महाविद्यालय में जिनके शासी निकाय का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके स्थान पर नये शासी निकाय के गठन पर विचार।
- निर्णयः जिन सम्बद्ध महाविद्यालयों में शासी निकाय के कार्यकाल पूरे हो चुके हो, उनके स्थान पर नये शासी निकायों के गठन हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।
- अतिरिक्त मद सं0 3. डॉ0 वेद प्रकाश, अंशकालिक व्याख्याता, स्नातकोत्तर संगीत एवं नाट्य विभाग, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा का सेवा विस्तारीकरण एवं मानदेय की राशि वृद्धि करने के मामले पर विचार।
- निर्णयः विचारोपरान्त, डॉ0 वेद प्रकाश, अंशकालिक व्याख्याता, स्नातकोत्तर संगीत एवं नाट्य विभाग, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा का सेवा विस्तारीकरण दिनांक 20.07.2019 की तिथि से करने तथा इसके पूर्व की अवधि में किये गये कार्य का भुगतान पूर्व स्वीकृत दर पर करने की अनुमति प्रदान की गयी।
- अतिरिक्त मद सं0 4. अमृत योजना के अधीन जलापूर्ति योजना हेतु मारवाड़ी महाविद्यालय की 30'x30' भूमि दरभंगा नगर निगम को उपलब्ध कराये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार।
- निर्णयः विचारोपरान्त, अमृत योजना के अधीन जलापूर्ति योजना हेतु मारवाड़ी महाविद्यालय की 30'x30' भूमि दरभंगा नगर निगम को उपलब्ध कराये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
- अतिरिक्त मद सं0 5. विज्ञापन संख्या LNMU/01(EDU)/18 के तहत दिनांक 24 तथा 25 फरवरी 2019 को अन्तर्वीक्षा में अनुशंसित सूची अभिषद् की बैठक में अनुमोदन हेतु उपस्थापित।
- निर्णयः विज्ञापन संख्या LNMU/01(EDU)/18 के तहत दिनांक 24 तथा 25 फरवरी 2019 को अन्तर्वीक्षा में अनुशंसित सूची को अभिषद् की आगामी बैठक में विस्तृत जानकारी के साथ उपस्थापित करने पर सहमति बनी।
- अतिरिक्त मद सं0 6. एन0सी0सी0एफ0, पटना से अनुबंधित स्नातक सत्र - 2016-19, 2017-20 एवं 2018-21 तथा स्नातकोत्तर सत्र 2016-18, 2017-19 एवं 2018-20 के लिये नामांकन, पंजीयन, परीक्षा प्रपत्र तथा प्रमाण-पत्र प्रदान करने एवं अन्य सभी प्रकार के कार्यों का समय सीमा समाप्त होने के कारण पुनः वर्ष, 2019 से आरंभ होनेवाले सत्रों के लिये समय-सीमा विस्तार करने पर विचारार्थ उपस्थापित।
- निर्णयः विचारोपरान्त, एन0सी0सी0एफ0, पटना से अनुबंधित स्नातक सत्र - 2016-19, 2017-20 एवं 2018-21 तथा स्नातकोत्तर सत्र 2016-18, 2017-19 एवं 2018-20 के

- लिये नामांकन, पंजीयन, परीक्षा प्रपत्र तथा प्रमाण-पत्र प्रदान करने एवं अन्य सभी प्रकार के कार्यों का समय सीमा समाप्त होने के कारण पुनः वर्ष, 2019 से आरंभ होनेवाले सत्रों के लिये समय-सीमा विस्तार के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
- अतिरिक्त मद सं0 7. विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के आवासों की मरम्मत नियमित अन्तराल पर कराने पर विचार।
निर्णय: विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के आवासों की मरम्मत नियमित अन्तराल पर करवाने की स्वीकृति दी गयी। साथ ही, मोती महल में अवस्थित LNMUTA कार्यालय की मरम्मत करने पर भी सहमति बनी। इसी क्रम में बहुदेशीय भवन (Multipurpose Hall) को मरम्मत कराने का सुझाव दिया गया।
- अतिरिक्त मद सं0 8. सामूहिक जीवन बीमा राशि के भुगतान के संबंध में विचारार्थ हेतु उपस्थापित।
निर्णय: सामूहिक जीवन बीमा राशि के भुगतान के संबंध में दिये गये प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
- अतिरिक्त मद सं0 9. सिनेट की बैठक में श्री मनीष राज, अधिषद् सदस्य द्वारा खेल दिवस मनाने संबंधी मुद्दे को (खेल दिवस, राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह मैदान, इत्यादि) माननीय सदन के अध्यक्ष महोदय एवं सदन के द्वारा स्वीकृति दी गई थी इस प्रस्ताव को अभी अगले सिंडिकेट के बैठक में पारित करने के संबंध में विचार।
निर्णय: सिनेट की बैठक में श्री मनीष राज, अधिषद् सदस्य द्वारा अधिषद् की बैठक में रखे गये एवं पारित प्रस्ताव के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष "दिनांक 29 अगस्त को खेल दिवस" के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।
- अतिरिक्त मद सं0 10. सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करने के संबंध में विचार।
निर्णय: इस संबंध में वित्त परामर्शी एवं वित्त पदाधिकारी को राज्य सरकार से प्राप्त पत्र 15/सी 7-10/2014-1448 दिनांक 24.07.2015 के आलोक में अग्रतर कारवाई करने के लिए अधिकृत किया गया।
- अतिरिक्त मद सं0 11. To consider the recommendation of Selection Committee for grant of promotion of teachers from the post of Lecturer to Lecturer(Senior Scale); Lecturer (Senior Scale) to Reader; and Associate Professor to the rank of Professor and shifting the date of Promotion of Lecturer (Senior Scale) and Reader in the subject of Psychology, Urdu and History respectively held on 01.06.2019, 03.06.2019 and 07.06.2019 under Career Advancement Scheme/ Time Bound Promotion Scheme.
निर्णय: It was unanimously resolved that "the recommendation of the Selection Committee for grant of promotion of teachers from the post of Lecturer to Lecturer(Senior Scale); Lecturer (Senior Scale) to Reader; and Associate Professor to the rank of Professor and shifting the date of Promotion of Lecturer (Senior Scale) and Reader in the subject of Psychology, Urdu and History respectively held on 01.06.2019, 03.06.2019 and 07.06.2019 under Career Advancement Scheme/ Time Bound Promotion Scheme" is approved.
- अतिरिक्त मद सं0 12. ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय प्रागेंण थाना के भवन निर्माण हेतु विश्वविद्यालय का एक एकड़ भूमि का हस्तांतरण एवं भवन निर्माण की अनुमति देने पर विचार।
निर्णय: निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी, दरभंगा से प्राप्त अनुरोध जो 0.60 एकड़ भूमि के लिए है, के आलोक में ल0ना0मिथिला विश्वविद्यालय प्रागेंण थाना को भवन निर्माण हेतु लीज पर देने की प्रक्रिया की जाय।
- अतिरिक्त मद सं0 13. दिनांक 10.01.2019 को आवास आवंटन समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को अनुमोदन करने पर विचार।
निर्णय: विचारोपरान्त, दिनांक 10.01.2019 को आवास आवंटन समिति में लिये गये निर्णयों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
- अतिरिक्त मद सं0 14. विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में नियमित रूप से कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मियों को 50 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप विभागीय दक्षता परीक्षा की उर्तीणता से मुक्त करने संबंधी मामले पर विचार।

- निर्णय: विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में नियमित रूप से कार्यरत शिक्षकेतर कर्मियों को 50 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप विभागीय दक्षता परीक्षा की उर्तीणता से मुक्त करने संबंधी मामले पर निर्णय लिया गया कि इस प्रसंग में नियमानुकूल कारवाई की जाय।
- अन्यान्य मद 01 डॉ० बिनोद कुमार चौधरी ने संबद्ध महाविद्यालयों में चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर नियुक्त हुए शिक्षकों की अधिसूचना जल्द-से-जल्द करने एवं बचे हुए शेष महाविद्यालयों में पद सृजन का कार्य शीघ्र कराने की बात कही।
- अन्यान्य मद 02 श्री संजय सरावगी ने अतिथि शिक्षकों के पोस्टिंग करते समय उनके Home Address को ध्यान में रखने एवं जहाँ किसी विषय में शिक्षक नहीं हो, तो उसे भी प्राथमिकता देने कह बात कही।
- अन्यान्य मद 03 डॉ० बिनोद कुमार चौधरी के प्रस्ताव पर डॉ० हरे राम आचार्य, सहायक प्राध्यापक, जे.के. कालेज, बिरौल, दरभंगा के सेवा सामंजन के संबंध में राज्यपाल सचिवालय, बिहार से प्राप्त पत्र LNMU-13/2015-832/GS(I) दिनांक 28.04.2016 के आलोक में डॉ० आचार्य के सेवा सामंजन की प्रक्रिया प्रारंभ करने पर सहमति बनी।
- अन्यान्य मद 04 डॉ० अजीत कुमार चौधरी के प्रस्ताव कि डॉ० कन्हैया चौधरी, व्याखाता, गृह विज्ञान विभाग, एम०आर०एम० महाविद्यालय, दरभंगा को वेतन भुगतान करने संबंधी निर्णय पूर्व के अभिषद में लिया जा चुका है किन्तु भुगतान नहीं हो रहा है; इसलिए उनका भुगतान प्रारम्भ किया जाय, पर सभी सदस्यों ने समर्थन किया तथा स्वीकृत तिथि से भुगतान सुनिश्चित करने पर सहमति प्रदान की।
- अन्यान्य मद 05 डॉ० दिलीप कुमार चौधरी विश्वविद्यालय के विभिन्न Statutory Committees में अभिषद सदस्यों को भी सदस्य के रूप में नामित करने की बात कही।
- अन्यान्य मद 06 अभिषद की आगामी बैठक 29.08.2019 को आहूत करने पर सहमति बनी।

माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से कुलसचिव महोदय ने सभी माननीय सदस्यों को अपना कीमती समय व सुझाव देने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। तदुपरान्त, बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

अनुमोदित।

ह०/—

(प्र० सुरेन्द्र कुमार सिंह)
कुलपति—सह—अध्यक्ष

ज्ञापांक:— LB-512/19.

प्रतिलिपि प्रेषित:—

1. अभिषद के सभी माननीय सदस्य, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
2. सचिव, उच्च शिक्षा बिहार, पटना।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
4. उप-सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।
5. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
6. सभी पदाधिकारी/कुलपति के सचिव/प्रति-कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

ह०/—

(कर्नल निशीथ कुमार राय)
कुलसचिव—सह—सचिव

दिनांक:— 20-7-2019.


20/7/19

कुलसचिव